



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2362-अ0प्र0-07/पाकालि/17-12-अ0प्र0-07/17

दिनांक 23/08/2017

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं0-1891-अ0प्र0-07/पाकालि/17-12-अ0प्र0-07/17, दिनांक 30.06.2017 के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यांत्रिक) को प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/ वर्ग/वरिष्ठता क्रमांक सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित डिस्कॉम / इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं०
1	2	3	4	5
वैद्युत एवं यांत्रिक-40% कोटा				
1	चन्द्रपाल सिंह/छोटे लाल 09.07.1959/8922	वि0कार्यशाला खं0, मेरठ	पश्चिमांचल	2017113
2	गौरी शंकर सक्सेना/दया शंकर वि0/30.06.1958/ रामपुर/सामान्य/8977	वि0वि0खं0-11, मुरादाबाद	पश्चिमांचल	2017114
3	दयाराम/लक्ष्मण 01.11.1958/झांसी/अनु0 जाति/ 8138925015	वि0माध्यमिक कार्यखण्ड, बांदा	दक्षिणांचल	2017115
4	धर्मराज/रामेश्वर 15.11.1963/फैजाबाद/अनु0 जाति/ 8217925042	वि0पारे0मं0, सुल्तानपुर	पारेषण	2017116
5	राम औतार सिंह/रघुवीर सिंह/ 01.09.1961/अनु0जाति/8225925046	वि0नग0 वित0म0, नोएडा	पश्चिमांचल	2017117
6	अरुण शुक्ला/हरीश चन्द्र शुक्ला वि0/27.01.73/ मिर्जापुर/ सामान्य/9353	वि0वि0मं0, इलाहाबाद	पूर्वांचल	2017118

2. "यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0-60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"

3. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
4. (i) सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का जोग वर्तमान में कार्यरत जोग से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

[Signature]

- (ii) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पारेषण), प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का मण्डल (जानपद पारेषण मण्डल) वर्तमान के तैनाती मण्डल (जानपद पारेषण मण्डल) से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पारेषण) को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. समस्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से **एक माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। **एक माह के भीतर** कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
 6. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ०प्र०पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
 7. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
 8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-2362-अ०प्र०-07/पाकालि/2017/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को के पत्रांक-528-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०/2016-17, दिनांक 22.06.2017, पत्रांक-536-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०/2016-17, दिनांक 23.06.2017, पत्रांक-589-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०/2016-17, दिनांक 29.06.2017, पत्रांक-590-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०/2016-17, दिनांक 29.06.2017 एवं पत्रांक-595-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०/2016-17, दिनांक 30.06.2017 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
10. उप सचिव (अ०प्र०-03/04/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-03/04), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,



(इन्द्रमणि)

उप सचिव (07)